इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 234] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 जून 2015—ज्येष्ठ 26, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जून 2015

क्र. 84 (9) वि.निर्वा.-चार-2015-उप चुनाव-327.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576-3-EXIT-2015-SDR-Vol-I दिनांक 5 जून 2015 सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2015

अधिसूचना

सं. 576-एग्जिट-2015-एस.डी.आर.-खण्ड-I.—यत:, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश एवं तमिलनाडु, विधान सभाओं के लिए उप-निर्वाचनों की घोषणा आयोग के दिनांक 26 मई, 2015 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई-पीएन-35-2015 के द्वारा की जा चुकी है;

2. और, यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा.

3. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धाराओं की उप-धारा (2) (ख) के उपबंधों के संबंध में एतत्‌द्वारा दिनांक 27 जून 2015 (शनिवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 26 मई, 2015 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/35/2015 के द्वारा घोषित मेघालय **59-चोकपोट (अ.ज.जा.), विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 136-अरुवीकरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, त्रिपुरा में 13-प्रतापगढ़ (अ.जा.) एवं 46-सुरमा (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 227-गरोठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडू में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन**

क्षेत्र उप-निर्वाचन से उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा.

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलें का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 5th June 2015

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2015-SDR.-Vol.I.—WHEREAS, the schedule for the Bye-Elections against casual vacancies in the Legislative Assemblies of Meghalaya, Kerala, Tripura, Madhya Pradesh and Tamil Nadu have been announced by the Commission vide Press Note No. ECI/PN/35/2015 dated 26th May, 2015.

2.AND,WHEREAS, as per the provisions of Section 126A of the R.P. Act, 1951, there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period as may be notified by the Election Commission in this regard.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 5.30 P.M. on 27th June 2015 (Saturday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll in connection with the said bye-elections announced *vide* the Commission's Press Note No. ECI/PN/35/2015, dated 26th May, 2015 from **59-Chokpot(ST) Assembly Constituency in Meghalaya, 136-Aruvikkara, Assembly Constituency in Kerala, 13-Pratapgarh (SC) & 46-Surma (SC) Assembly Constituencies in Tripura, 227-Garoth Assembly Constituency in Madhya Prasdesh and 11-Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in Tamil Nadu** shall be prohibited

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye elections.

By order,
Sd./-
(ANUJ JAIPURIAR)
Secretary,
Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.